न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2456–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील जीरन जिला नीमच म0प्र0 प्रकरण कमांक 13/अ–13/2014–15

.....

1. रामप्रसाद पिता मांगीलालजी कुलमी
2. कारूलाल पिता मांगीलालजी कुलमी
   निवासी–ग्राम बामनिया, तहसील–जीरन,
   जिला–नीमच (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामनिवास दत्तक पिता गंगारामजी कुलमी
2. रामप्रसाद पिता जगन्नाथ कुलमी
3. नाथुलाल पिता नारायणजी कुलमी
4. रामेश्वर पिता नारायणजी कुलमी
   निवासी–ग्राम बामनिया, तहसील–जीरन,
   जिला–नीमच (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0सी0 बंसल, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील जीरन जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक कमांक रामनिवास एवं अनावेदक कमांक 2 रामप्रसाद द्वारा एक आवेदन तहसीलदार जीरन केसमक्ष संहिता की धारा 131 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व की ग्राम बामनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 425, 577/2, 426 पर सिंचाई ओड़ी कुआ से होती है। उक्त कुएं पर आने जाने बैलगाडी कृषि समान आदि लाने ले जाने का एकमात्र कदीमी तथा वेवहटी रास्ता ग्राम कलुखेडा से बामनिया जाने वाली पक्की सड़क से पुलिया के पास दक्षिण से पूर्व दिशा में मुडकर अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के स्वामित्व की पड़त भूमि से होकर सर्वे कर्मोक 416 स्थित शामलाती कुंएव पर पहुंचता है जिसका प्रयोग वर्षो से करते चले आ रहे हैं उक्त कदीमी रास्ते को आवेदकगण ने आपसी मिलीभगत से रास्ते में गड्डा खोदकर अवरूद्ध कर दिया है अतः उक्त रास्ते को चालू कराया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया तथा आदेश दिनांक 1–7–15 को अंतरिम आदेश पारित कर वर्तमान वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुये मौके पर स्थिति कदीमी रास्ता को तत्काल मुक्त कराने के आदेश दिये। तहसीलदार ने बिना मौके का अवलोकन किये मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आवेदकगण की भूमि से रास्ता देने के आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। अतः आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के प्रावधानों के अनुशरण में स्वयं स्थल निरीक्षण न कर हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण कराकर रास्ता खोलने के अंतरिम आदेश दिये हैं जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 01–7–15 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रकरण इस

निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में स्वयं स्थल निरीक्षण करने के उपरांत संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का गुण–दोष के अधार पर अधिकतम तीन माह में निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर